

[श्री राम नरेश यादव]

एसा करके देश के सम्मान के साथ खेलने का काम किया है। उन्होंने जो यह बयान दिया है उससे घृणित कोई बात महिलाओं और देश के लिए नहीं हो सकती है। महोदया, 18 फरवरी को पड़रिया में जिस तरह से सामूहिक बलात्कार महिलाओं के साथ हुआ यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। यह मामला इस सदन में भी आ चुका है। इसी तरह से कानपुर जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर दहेज के मामले को लेकर पांच पुत्रियों का पिता अपनी तीन पुत्रियों के लिए, जो कि शिक्षित है इसलिए परेशान है क्योंकि जहाँ जहाँ भी पिता उनके रिश्ते के लिए जाता था उससे दहेज मांगा जाता था जो कि उसकी सामर्थ्य से बाहर था। इसलिए उन तीनों लड़कियों ने अपने पिता की लाज बचाने के लिए, समाज में जिस तरह की भावना फैली हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए उन शिक्षित महिलाओं ने, उन शिक्षित लड़कियों ने, उन शिक्षित वच्चियों ने पंखे से एक साथ लटकर आत्म हत्या कर ली। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और समाज के लिए कुछ नहीं हो सकती। यह दिल को चीकाने वाली, दहलाने वाली घटना है। इससे मुझे स्मरण हो आती है वह घटना, जब हम लोग सरकार में थे, 1979-80 में, हमारे देवरिया के नारायणपुर गांव में एक महिला बस से दब गई और उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस पहुंचती है। आरोप लगाया गया कि महिला के साथ बलात्कार किया गया था। मैं इस सदन में कहना चाहता हूँ कि खाली एक बलात्कार के मामले को लेकर हम लोगों ने कमीशन बैठाया। उस कमीशन ने उस मामले की इन्क्वायरी की और इन्क्वायरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी कि कोई बलात्कार की घटना नहीं हुई थी। पूरी की पूरी सरकार उधर बैठे हुए लोगों भंग कर दी, विधान सभा भंग कर दी। लेकिन पड़रिया में इतनी बड़ी घटना हो जाये परन्तु इस सरकार के कान पर जं रंगने वाली नहीं है। इस तरह की जो घटनाएँ हो रही हैं उससे आधार पर सरकार से कहना

चाहता हूँ कि जब तक सरकार और समाज के लोग इस तरफ ध्यान नहीं देंगे, नर नारी के बारे में समता के आधार पर सोचने का काम नहीं करेंगे, नारियों को जो अधिकार मिलने चाहिए उनकी तरफ ध्यान देने का काम नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का निदान नहीं हो सकता। संविधान के आर्टिकल 15,17(3) में सरकार ने व्यवस्था जरूर कर दी है और इससे सरकार को यह अधिकार है कि वह माइनर चाइल्ड और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। लेकिन आज तक शिक्षा में कोई सुधार नहीं हो पाया है, नौकरियों में कोई सुधार नहीं हो पाया है और आदिवासी महिलाएँ जिस तरह से समाज में रहती हैं उनकी तरफ जो ध्यान दिया जाना चाहिए था राष्ट्र के मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम करना चाहिए था वह सरकार ने नहीं किया है। मेरी सरकार से मांग है कि इस दिशा में ध्यान दे ताकि हमारी महिलाएँ जिनकी संख्या 49 फीसदी पूरे देश में है वे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें अपने अधिकार पा सकें और इस तरह की जो घटनाएँ होती हैं उससे उनको मुक्ति मिल सके। साथ ही साथ मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ इस दिशा में केन्द्रीय स्तर पर एक निदेशालय स्थापित करें जिसकी डायरेक्टर जनरल महिला समाज से आए ताकि महिलायें की सारी समस्याएँ जो हैं उनके ऊपर विचार करके देश के मामले अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकें और सरकार का ध्यान भी उधर जाए। इन शर्तों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

Disappearance of four persons under mysterious circumstances

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन का और सरकार का ध्यान एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीया, इस देश की पुलिस निरंकुश तथा तानाशाह हो गई है। सरकार का भी नियन्त्रण पुलिस पर नहीं रह गया है। पुलिस को कानून का भय नहीं है। जो रक्षक है वही भक्षक हो गया है।

दक्षिण दिल्ली की पुलिस के कर्मचारियों द्वारा आज से लगभग 15 माह पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ कस्बे के दो व्यक्ति तथा इसी कस्बे के समीप के दो अन्य व्यक्तियों को पकड़ ले जाने, उन्हें गायब कर देने और बाद में इनकी हत्या कर दिए जाने की घटना से हापुड़ तथा आसपास के गांवों में भय तथा आतंक का वातावरण व्याप्त है। पुलिस का यह क्रूर, अमानवीय कुकृत्य सरकार की अकर्मण्यता का परिचायक तथा जनतंत्र एवं संवैधानिक अधिकारों पर कुटाराघात है।

कहा जाता है कि दिनांक 10-4-87 को दक्षिण दिल्ली की पुलिस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ कस्बे से पूरन सिंह, ट्रक ड्राइवर तथा ट्रक के क्लीनर श्याम सिंह को गिरफ्तार किया और इन्हें जीप से ले कर चले गए। इसी दिन से हापुड़ कस्बे के पास के गांव चाराउन्डी के निवासी तिलक राम और बीर सिंह का भी कुछ पता नहीं चला जिनके संबंध में कहा जाता है कि इन दोनों को पुलिस पूरन सिंह को पहचान करने के लिए अपने साथ ले गई थी।

उक्त व्यक्तियों के परिवार वालों ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा अन्य अधिकारियों के यहाँ बार-बार गृहण लगाई और अपहृत व्यक्तियों की जीवन रक्षा की मांग की परन्तु आज तक इन व्यक्तियों का पता नहीं चला।

महोदया, मेरे तथा माननीय राम अवधेश सिंह के अतारंकित प्रश्न संख्या 880 के उत्तर में राज्य गृह मंत्री जी ने बताया है कि दिल्ली पुलिस द्वारा इसकी जांच कराई जा रही है। इस लोमहर्षक तथा अमानवीय घटना के संबंध में स्टेट्समैन ने दिनांक 12-7-88, 20-7-88 को समाचार प्रकाशित किया तथा टाइम्स आफ इण्डिया ने 13-7-88 को समाचार प्रकाशित किया और 15-7-88 को सम्पादकीय लिखा परन्तु आश्चर्य है कि सरकार और पुलिस अब तक इस घटना के संबंध में कुछ पता

नहीं लगा सकी। जो जांच की कार्यवाही की जा रही है वह निष्पक्ष नहीं हो रही है। सम्भव है गिरफ्तार किये गये व्यक्ति अपराधी रहे हों। मैं हरगिज इन्हे अपराध से बचाने की बात नहीं करता परन्तु पुलिस ने कानून तथा न्यायालय का अधिकार अपने हाथ में ले कर जघन्य अपराध किया है। अतः मेरी मांग है कि इस पूरे प्रकरण की सी.बी. आई. द्वारा जांच करा कर आवश्यक और कठोर कार्यवाही की जाए। धन्यवाद।

**ALCOCK ASHDOWN COMPANY
LIMITED (ACQUISITION OF
UNDERTAKINGS) AMEND. MENT
BILL, 1988**

THE MINISTER OF STATE LSI THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT' IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): Madam, Deputy Chairman, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Alcock Ashdown Company Limited, (Acquisition of Undertakings) Act, 1973, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN; Mr. Sukomal Sen—absent. Mr. Sunil Basu Ray—absent. Yes, Mr. Satyanarayan Reddy.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): Madam, Deputy Chairman, this is a simple Bill which seeks to amend the original Act. The Minister wants, through this Bill, an amendment after section 8.

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): No amendments are suggested here, in the Rajya Sabha. These have already been passed by the Lok Sabha.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: I know that this amendment bill has already been passed by the Lok Sabha. I am not ignorant. This